न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 96/2022

अपीलांट–

1. खेमाराम पुत्र बक्सीराम जाति ब्राह्मण निवासी पटाली नाडी, तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. तुलसाराम पुत्र बक्सीराम
2. हीराराम पुत्र बक्सीराम
3. बंशीलाल पुत्र बक्सीराम जाति ब्राह्मण निवासी पटाली नाडी, तहसील गिड़ा।
4. शंकरलाल पुत्र अमोलखराम
5. जगदीश प्रसाद पुत्र कासीराम
6. दुर्गाराम पुत्र अमोलखराम जातियान ब्राहम्ण निवासी पीथोणियों का तला, ग्राम पंचायत पूनियों का तला, तहसील गिड़ा।
7. उम्मेदाराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।
8. भूरीदेवी पत्नी बाबूलाल
9. मानी देवी पत्नी चेनाराम
10. रेखाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी पटाली नाडी, रतेउ तहसील गिड़ा।
11. तहसीलदार गिड़ा।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक – रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री गणेश कुमार गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता उतरदाता संख्या 02 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जेठूलाल कुमावत, अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 03 व 05 की ओर से उपस्थित।
4. शेष समस्त उतरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

आदेश

दिनांकः— 20.08.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं उतरदातागण संख्या 02, 03 व 05 के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 06 की पैतृक खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम पटाली नाडी पटवार हल्का रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 383 रकबा 243.03 बीघा में आई हुई है। उक्त भूमि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 06 को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त पैतृक व संयुक्त खातेदारी भूमि का तहसीलदार गिड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 को पारित किया गया। परंतु पक्षकारों का आपस में मौके कब्जे व काश्त अनुसार बंटवाड़ा न होने से उक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा दर्ज कर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर विवादित भूमि का मूल राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठ्ी लिखी गई। अपीलांट एवं उतरदातागण संख्या 02, 03 व 05 की ओर अधिवक्तागण उपस्थित शेष समस्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

3. अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई, दौरान बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अवगत कराया कि उतरदातागण ने अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही अनपढ़ अपीलांट को धोखे में रखते हुए पटवारी हल्का के साथ मिलीभगत कर अपीलांट को रास्ता निकलवाने का कहकर मौके की स्थिति के विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उस पर अपीलांट को धोखे में रखकर रास्ता निकालने का कहकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान विभाजन प्रस्ताव करवा लिए और राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प कोर्ट रतेउ में दिनांक 27.06.2018 को तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन आदेश पारित करवा दिया। जो कि निरस्त होने योग्य है। जवाब में अधिवक्तागण उतरदातागण संख्या 02, 03 व 05 ने तर्क दिया कि उक्त बंटवाड़ा आदेश

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

अपीलांट व उतरदातागण के कब्जे काश्त व हिस्से के अनुरूप किया गया है और वर्तमान में उक्त समस्त काश्तकार अपने अपने हिस्से पर कब्जा रखते हुए काश्त कर रहे है तथा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा काश्त व हिस्से को ध्यान में रखते हुए नक्शे में रंग भरकर खातेदारान के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये थे। इसलिए उक्त बंटवाड़ा आदेश वैध एवं सही है जिसको यथावत रखा जायें।

4. हमनें योग्यं अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश की पत्रावली को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा मौजा पटाली नाडी पटवार हल्का रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 383 रकबा 243.03 बीघा भूमि के संबंध में तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 का काश्तकारों में मौके व कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा व राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश का सही अमलदरामद होने से अपीलांट की यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2024** को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा